**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Misc. 2nd Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 1201/2026
CNR: RJHC020541622026 | URN: SOSA / 2229U / 2026

Dhara Singh S/o Shri Laxman Singh Banjara, Aged About 45 Years, Resident Of Ramjipura, Police Station Andhi, District Jaipur (Raj.) (At Present Accused Confined In Central Jail Bikaner).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Rahul Agrawal, Adv. |
| For Respondent(s) | : | Ms. Manju Dave, PP |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS**

**Judgment / Order**

**06/08/2026**

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा **430 बीएनएसएस** के अंतर्गत प्रस्तुत द्वितीय सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

प्रार्थी–अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय **सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या **02/2021** में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 25.04.2025 के माध्यम से अन्य अपराधों के साथ–साथ धारा 307 भा.दं. सं. में दोषसिद्ध घोषित करते हुए अधिकतम चार वर्ष के **साधारण** कारावास की सजा से दंडित किया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का निवेदन है कि प्रार्थी–अभियुक्त निर्दोष हैं तथा उसे प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, दोषसिद्धी हेतु पत्रावली पर कोई विश्वसनीय तथा विधितः स्वीकार्य सुदृढ साक्ष्य नहीं रही है, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अपील में अभियुक्त के दोषमुक्त होने

की पूर्ण संभावना है। करीब दो वर्ष की सजा भुगत चुका है, अन्त में सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए योग्य लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री, सुदृढ साक्ष्य आदि को देखते हुए सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

यद्यपि अभियुक्त के विरूद्ध पांच आपराधिक प्रकरण पूर्व से संस्थित हैं, लेकिन वर्तमान मामले में उसे धारा 307 भा.दं.सं. के अपराध में चार वर्ष के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया गया है, अभियुक्त दोषसिद्ध सजा के मुकाबले दो वर्ष की सजा भुगत चुका है, निकट भविष्य में अपील के निस्तारण की संभावना नहीं है।

अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अपीलार्थी द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, प्रस्तुत अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों, अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह द्वितीय सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त **धारासिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह** इस न्यायालय में **दिनांक 07.09.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का बंधपत्र एवं **पचास–पचास हजार रूपये** की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय **दिनांकित 25.04.2025** के तहत दिये गये **दण्डादेश** का कियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

4/Mittal